न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) नजीबाबाद, बिजनौर।

मूलवाद सं0–369 / 2021

मौ0 महताब शेख बनाम आफताब आदि

20–07–2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ग–8 मय शपथपत्र ग–9 पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

वादी की ओर से प्रार्थनापत्र ग–9 मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी ने प्रतिवादनी नं0–3 का सबकदर 1 / 13 भाग बजरिये बैनामा दिनांक 07.03. 2022 को खरीद लिया है, वादग्रस्त जायदाद में वादी का हिस्सा 6 / 13 के स्थान पर 7 / 13 हो गया है जिस कारण तरमीम कराने की आवश्यकत है। अतः प्रार्थनापत्र में वर्णित संशोधन को वादपत्र में समावेशित किए जाने की याचना की गई है।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण 1 ता 2 की ओर से आपत्ति ग–12 दाखिल करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र वादी तरमीम खिलाफ कानून के साथ प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण ने अपना डब्लूएस पहले ही दाखिल कर दिया गया जिसमें पूर्ण विरासतन सम्पत्ति को शामिल नहीं किया गया है। वादी के प्रार्थना पत्र से पूर्ण वाद की नियती बदल रही है एवं प्रार्थना पत्र वादी निरस्त होने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादी द्वारा उक्त वाद विभाजन के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है, जिसमें वाद बिन्दु विरचित नहीं हुए हैं तथा प्रतिवादी सं0 5 की ओर से प्रतिवाद पत्र दाखिल नहीं हुआ है। इसी स्तर पर वादी की ओर से वर्तमान प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिस पर प्रतिवादीगण 1 ता 2 की ओर से आपत्ति दाखिल करते हुए प्रार्थना पत्र उपरोक्त को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। उक्त संशोधन आवश्यक एंव औपचारिक प्रकृति का है तथा प्रार्थना पत्र शपथपत्र से समर्थित है। न्यायहित में वर्तमान वाद को गुण–दोष के आधार पर निस्तारित करने तथा पक्षकारों के मध्य विवाद को पूर्ण रूप से निस्तारित करने के लिए एवं वादो की बाहुल्यता को रोकने के लिए प्रार्थनापत्र ग–8 न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र ग–8 स्वीकार किया जाता है तथा आपत्ति ग–12 तद्नुसार निस्तारित की जाती है। वादी के अधिवक्ता आवश्यक संशोधन नियत तिथि तक कर न्यायालय से प्रमाणित करावे। पत्रावली वास्ते डब्लू0एस0 / तंकी दिनांक 30–08–2023 को पेश हो।

(एकलव्य सरोज)
सिविल जज (जू0डि0)
नजीबाबाद, बिजनौर।